P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-2* ISSUE-12* March- 2018
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarking An Analisation*

ग्रामीण भारत का बदलाव की दास्ता मनरेगा के साथ

प्रशान्त कुमार पाण्डेय
शोध छात्र,
अर्थशास्त्र विभाग,
इलाहाबाद विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद

सारांश

ग्रामीण विकास मंत्रालय राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) 2005 सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जो गरीबों की जिंदगी में सीधे तौर पर जुड़ा है और जो व्यापक विकास को प्रोत्साहन देता है। यह अधिनियम विश्व में अपनी तरह का पहला अधिनियम है जिसके तहत अभूतपूर्व तौर पर रोजगार की गारंटी दी जाती है। इसका मकसद है ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना इसके तहत हर घर के एक वयस्क सदस्य को एक वित्त वर्ष में कम से कम 100 दिनों का रोजगार दिए जाने की गारंटी है। यह रोजगार श्रम के संदर्भ में है और उस वयस्क व्यक्ति को प्रदान किया जताा है जो इसके लिए राजी हो। इस अधिनियम का दूसरा लक्ष्य यह है कि इसके तहत टिकाऊ परिसम्पत्तियों का सृजन किया जाए और ग्रामीण निर्धनों की आजीविका के आधार को मजूबत बनाया जाए। इस अधिनियम का मकसद सूखे, जंगलों के कटान, मृदा क्षरण जैसे कारणों से पैदा होने वाली निर्धनता की समस्या से भी निपटना है ताकि रोजगार के अवसर लगातार पैदा होते रहें।

मुख्य शब्द : ग्रामीण विकास, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार

प्रस्तावना

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) को तैयार करना और उसे कार्यान्वित करना एक महत्वपूर्ण कदम के तौर पर देखा गया है। इसका आधार अधिकार और माँग को बनया गया है जिसके कारण यह पूर्व के इसी तरह के कार्यक्रमों से भिन्न हो गया है। अधिनियम के बेजोड़ पहलुओं में समयबद्ध रोजगार गारंटी और 15 दिन के भीतर मजदूरी का भुगतान आदि शामिल है। इसके अंतर्गत राज्य सरकारों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे रोजगार प्रदान करने में कोताही न बरतें क्योंकि रोजगार प्रदान करने के खर्च का 90 प्रतिशत हिस्सा केन्द्र वहन करता है। इसके अलावा इस बात पर भी जोर दिया जाता है कि रोजगार शारीरिक श्रम आधारित हो जिसमें ठेकेदारों और मशीनों का कोई दखल हो। अधिनियम में महिलाओं की 33 प्रतिशत श्रम भागीदारी को भी सुनिश्चित किया गया है।

नरेगा दो फरवरी, 2006 को लागू हो गया था। पहले चरण में इसे देश के 200 सबसे पिछड़े जिलों को लागू किया गया था दूसरे चरण में वर्ष 2007–08 में इसमें और 130 जिलों को शामिल किया गया था । शुरुआती लक्ष्य के अनुरूप नरेगा को पूरे देश में पाँच सालों में फैला देना था। बदरहाल, पूरे देश को इसके दायरे में लाने और माँग को दृष्टि में रखते हुए योजना को 1 अप्रैल, 2008 से सभी शेष ग्रामीण जिलों तक विस्तार दे दिया गया है। कार्यान्वयन के रुझान अधिनियम के लक्ष्य के अनुरूप ही है। 2007–08 में 3.39 करोड़ घरों को रोजगार प्रदान किया गया और 330 जिलों में 143.5 करोड़ श्रम दिवसों को सृजन किया गया एसजीआरवाई (2005–06 में 56 जिले) पर यह 60 करोड़ श्रम दिवसों की बढ़त है। कार्यक्रम की प्रकृति ऐसी है कि इसमे लक्ष्य स्व्यं निर्धारित हो जाता है। इसके तहत हाशिए पर रहने वाले समूहों पुरुष (57 प्रतिशत), महिलाओं (43 प्रतिशत) और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों (129 प्रतिशत) की भारी भागीदारी रही। बढ़ी हुई मजूदरी दर न भारत के ग्रामीण निर्धनों के आजीविका संसाधनों को ताकत पहुंचाई। निधि का 68 प्रतिशत हिस्सा श्रमिकों को मजदूरी देने में इस्तेमाल किया गया। निष्पक्ष अध्ययनों से पता चलता है कि निराशाजन्य प्रवास को रोकने, घरों की आय की आय को सहारा देने और प्राकृतिक संसाधनों को दोबारा पैदा करने के मामले के कार्यक्रम का प्रभाव सकारात्मक है।

ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्य, ग्राम पंचायत के पास एक तस्वीर के साथ अपना नाम, उम्र और पता करते हैं। जांच के बाद पंचायत, घरों

को पंजीकृत करता है और एक जॉब कार्ड प्रदान करता है। जॉब कार्ड में, पंजीकृत वयस्क सदस्य का ब्यौरा और उसकी फोटो शामिल होती है। एक पंजीकृत व्यक्ति, या तो पंचायत या कार्यक्रम अधिकारी को लिखित रूप से (निरंतर काम के कम से कम चौदाह दिनों के लिए) काम करने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। आवेदन दैनिक बेरोजगारी भत्त आवेदक को भुगतान किया जाएगा।

इस अधिनियम के तहत पुरुषों और महिलाओं के बीच किसी भी भेदभाव की अनुमति नहीं है। इसलिए, पुरुषों और महिलाओं को समान वेतन भुगतान किया जाना चाहिए। सभी वयस्क रोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं।

ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्य, ग्राम पंचायत के पास एक तस्वीर के साथ अपना नाम, उम्र और पता जमा करते हैं। जांच के बाद पंचायत, घरों को पंजीकृत करता है और जब जॉब कार्ड प्रदान करता है। जॉब कार्ड में, पंजीकृत वयस्क सदस्य का ब्यौरा और उसकी फोटो शामिल होती है। एक पंजीकृत व्यक्ति, या तो पंचायत या कार्यक्रम अधिकार को लिखित रूप से (निरंतर काम के कम से कम चौदाह दिनों के लिए) काम करने के लिएए आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। आवेदन दैनिक बेरोजगारी भत्ता आवेदक को भुगतान किया जाएगा।

इस अधिनियम के तहत पुरुषों और महिलाओं के बीच किसी भी भेदभाव की अनुमति नहीं है। इसलिए, पुरुषों और महिलाओं को समान वेतन भुगतान किया जाना चाहिए, सभी वयस्क रोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी देने वाली योजना की दैनिक मजदूरी में सालाना बढ़ोत्तरी हैरान करने वाली है, द टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक केन्द्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत कई राज्यों में दैनिक मजदूरी महज एक रूपये ही बढ़ाई है, यह मनेरगा के तहत बीते 11 की सबसे कम बढ़ोत्तरी है जो 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी।

आजादी के छह दशक बाद भी ग्रामीण विकास की जटिल चुनौतियां विश्व के विशालतम लोकतंत्र हमारे देश के लिए चिंता का विषय रही हैं। सुखद है कि इस दिशा में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम(मनरेगा) 2005 ने कम ही समय में अपनी प्रासंगिकता एवं दीर्घकालिक उपयोगिता प्रमाणित कर दी है। मनरेगा से बन रहे सामाजिक सुरक्षा के परिवेश के करोड़ों ग्रामीण भारतीयों के जीवन में बड़े बदलाव की संभावना पैदा कर दी है। यह बदलाव मनरेगा के साथ अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं एवं कार्यक्रमों के रचनात्मक एवं नवाचारी समावेश द्वारा बड़े स्तर पर लाना संभव हो रहा है। अब मनरेगा के तहत सुयोग्य श्रेणियों के व्यक्तिगत लाभुकों की जमीन में भी भूमि एवं जल संरक्षण एवं सिंचाई कूप जैसी अत्यंत उपयोगी विभिन्न परिसंपित्तयों के निर्माण के प्रावधान ने इन संभावनाओं को और गहन कर दिया है। मनरेगा ने पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण का भी एक महत्वपूर्ण जरिया दिया है क्योंकि लागत के हिसाब से 50 प्रतिशत कार्यों का कार्यान्वयन ग्राम पंचायतों द्वारा किया जा रहा है।

उद्देश्य

प्रस्तुत शोधप्रपत्र में मनरेगा कार्यक्रम की वित्तीय स्थिति से यह परिलक्षित होता है कि मजदूरी व्यय की बढ़ती प्रवृत्ति ने निश्चय ही क्रय शक्ति की क्षमता का सृजन एवं वृद्धि की है। न केवल क्रयशक्ति ही बल्कि मनरेगा के निष्पादन के यह भी परिलक्षित होता है कि मनरेगा कार्यक्रम ने भूमि के अधिक प्रयोग एवं सिचाई की सुविधा में सुधार के माध्यम से खाद्यान्न उत्पादकता की वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।

अतः अन्त में हम कह सकते हैं यदि मनरेगा कार्यक्रम का सफल एवं पारदर्शी क्रियान्वयन किया जाय तो यह खाद्य सुरक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में महत्वपूर्ण स्तम्भ के रूप में कार्य कर सकता है।

मनरेगा कार्यक्रम की उद्देश्य

1. *मनरेगा के जे जरिये एक वित्तीय वर्ष में 100 दिवस रोजगार सुनिशिचत करना।*
2. *छत्तीसगढ़ राज्य में 150 दिवस रोजगार प्रदाय हैं जिसका राज्य शासन द्वारा किया जायेगा।*
3. *आवेदन करने के 15 दिवस के भीतर रोजगार मुहैया करवाना।*
4. *आवेदक को 15 दिवस के भीतर कार्य उपलब्ध नहीं होने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है।*
5. *मजदूरी का भुगतान बैंकडाकघर के बचत खातों के माध्यम से किया जाता है।*
6. *वर्तमान में रू0 157– प्रति दिवस मजदूरी दर भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है।*
7. *योजनांतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर मजदूरी एवं सामग्री का 60रू40 के अनुपात में राशि व्यय का प्रावधान है।*

साहित्य पूर्वालोकन

डॉ0 एसपी शर्मा, 2016 हस्तक्षेप– मनरेगा के तहत काम प्राप्त करने के लिये जॉब कार्ड हासिल करने वाले परिवारों की संख्या भी वित्तीय वर्ष 2015 तक बढ़ी। उसके बाद इस संख्या में मामूली कमी आई। वित्तीय वर्ष 2014 में जॉब कार्ड धारकों की संख्या सर्वाधिक 13.15 करोड़ थी। यह जानकारी भी पीएचडी रिसर्च ब्यूरों की मनरेगा वेबसाइट पर उपलब्ध है। हालांकि ऐसी तमाम रिपोर्ट मिलती रही है जिनमें इस योजना के तहत उपयोग में लाये जाने वाले संसाधनों के छीजन या नुकसान किये जाने बातों का उल्लेख रहा है। देश में महत्वाकांक्षी कार्यक्रम महात्मा गांधी नेशलन रूरल इम्पलॉयमेंट गारंटी एक्ट (मनरेगा) 2005 में तैयार किया गया था। यह मजबूत सामाजिक सुरक्षा तंत्र प्रस्तुत करता है, जिसके माध्यम से सम्पत्ति के पुनर्वितरण और सार्थक रोजगार सृजन को भारतीय नीति–निर्माण एजेंडा का अभिन्न हिस्सा बनाए रखने के मद्देनजर प्रयास किये जाते हैं।

यूपीए सरकार ने इसे पहल 2006 में देश के दो सौ पिछड़े जिलों में आरम्भ किया था। वर्ष 2007–08 में इसका समूचे में विस्तार कर दिया गया। आज यह कायक्रम ग्रामीण भारत में जीवन का अभिन्न अंग बन गया

है। एक औसत के मुताबिक, इस योजना के तहत करीब 25 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को रोजगार मिलता है।

यह एक्ट उस समय बनाया गया जब 1980 और 1990 के दशकों के दौरान एक दशक से ज्यादा समय तक जीडीपी में वृद्धि की दर सतत उच्च बनी रही। लेकिन इसके बावजूद लगा कि ग्रामीण भारत में गरीबी को कम करने में जीडीपी में इतनी ऊँची वृद्धि दर भी पर्याप्त नहीं रही।

संकट में कार्यक्रम

जयति घोष

लाभावित्त होने वाले परिवारों की संख्या 55 मिलियन के साथ 2010–11 में शीर्ष पर थी, जबकि सृजित रोजगार के व्यक्ति–दिवसों की संख्या उससे पछिले वर्ष 2009–10 में 2.8 बिलियन के साथ सर्वोच्च स्तर पर रही। लेकिन शीर्ष पर रहने के बावजूद यह कार्यक्रम किसी परिवार के लिये 100 दिन के काम उपलब्ध कराने के वायदे के आसपास भी नही रही, बल्कि देश भर में इसका औसत प्रति परिवार केवल 54 दिन का रहा। अब इसमें भी गिरावट आ गई है और इस कार्यक्रम के तहत पिछले कुछ वर्षों के दौरान प्रति परिवार कार्य दिवसों की संख्या 40 से भी कम रही है। केन्द्र सरकार मनरेगा के प्रति अपनी कानूनी वाध्यताओं को पूरी तरह नजरअन्दाज करते हुए इस योजना के लिये परिव्यय को सीमित करने की लगातार कोशिश कर रही है जबकि इस कार्यक्रम के कई सकारात्मक प्रभाव रहे हैं। पिछले कुछ समय से यह स्पष्ट दिख रहा है कि केन्द्र में एनडीए की सरकार, खासकर जहाँ अधिकार–आधारित कानूनों का सवाल आता है, अपनी कानूनी बाध्यताओं के प्रति बहुत सचेत नहीं है।

अपनी शर्तों पर श्रम का सूत्रधार

खेतों में मजदूर नहीं मिलने का मतलब यह कतई नहीं कि भारत के खेत अब बिना बोये–काटे रह जायेंगे। इसका मतलब यह है कि जो श्रमिक वर्ग अब तक मजदूर बनकर खेतों में काम करता था, वह अब हिस्सेदार व किरायेदार बनकर खेती करना चाहता है। मनरेगा में भले ही वह अभी अपनी शर्तों पर काम न पाता हो, लेकिन खेत मालिक की शर्तों पर काम करने की बजाय, वह अब अपनी शर्तों पर और अपनी मनमाफिक खेती करना चाहता है। इसमें वह सफल भी हो रहा है, क्योंकि भूमिधरों के पास मजदूरों का कोई विकल्प नहीं है, क्योकि मजदरू ने अपनी महत्ता को पहचान लिया है, क्योंकि उसके परिवार का हर सदस्य खेत में काम करता है, क्योंकि उसके लिए खेती मुनाफे का सौदा है।

बदेलगा सामाजिक विन्यास

यदि ग्रामीण मेहनतकशों की आर्थिक सबलता का यह दौरा जारी रहा, तो अगले एक दशक में मनरेगा मजदूर को मालिक बनाने वाला अधिनियम साबित होगा भारत के गांवों के सामाजिक विन्यास में इसके दूरगामी परिणाम होंगे। अब खेती उसी को होगी, जो अपने हाथ से मेहनत करेगा। विकल्प के तौर पर खेती के आधुनिक औजार गांव में प्रवेश करेगें। छोटी काश्तकारी को पछाड़कर विदेशी तर्ज पर बड़ी फार्मिंग को आगे लाने की व्यावासायिक कोशिशें तेज होगी। इससे पलायन का आंकड़ा फिलहाल कम नहीं होगा। पलायन करने वाला वर्ग बदलेगा। किसान जातियों का पलायन बढ़ेगा। उनकी आर्थिकी पर संकट बढ़ेगा। वे खेती से विमुख होगी। नई पीढ़ी पर पढ़ाई पर जोर बढक्ष्गा श्रमिक वर्ग के पलायन में कमी आयेगी। श्रमिक वर्ग की समृद्धि बढ़ेगी। खेती पर उनका मालिकाना बढ़ेगा। किसान और श्रमिक जातियों के बीच वर्ग संघर्ष की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। किन्तु अब जंगलराज का जमाना जा रहा है, अतः जीत श्रम की ही होगी। कारण यह भी होगा कि खेती में श्रम के विकल्प के रूप में आई मशीनों की भी एक सीमा है। आजादी के बाद भारत के गांवों में सामाजिक बदलाव का यह दूसरा बड़ा दौर है। पहला दौ, मंडल आयोग की रिपोर्ट के लागू होने का परिणाम था।

मजदूर किसान शक्ति संगठन से जुड़े सामाजिक कार्यक्रता निखिल डे का कहना है कि यह सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ है, जिसमें किसी श्रमिक को राज्य की न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान बंधुआ मजदूरी जैसा बताया गया है, उनके मुताबिक केन्द्र सरकार ने 2014 में महेन्द्र देव समिति की सिफारिश के आधार पर मनरेगा मजदूरी और न्यूनतम मजदूरी के अंतर को घटाने की बात मानने के बाद कोई कदम नहीं उठाया है। निखिल डे का यह भी कहना है कि महेन्द्र देव समिति ने 2014 को आधार वर्ष बनाकर मजदूरी की दो तरह की दरें लाने और इनकी समीक्षा 'ग्रामीण मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक' के आधार पर करने की सिफारिश की थी जो सीपीआईएएल से ज्यादा होता है।

मनरेगा के बदलाव रचनात्मक व प्रेरक

मनरेगा के बदलाव भिन्न है, कई मायने में रचनात्मक और प्रेरित करने वाले मनरेगा जातियों में भेद नहीं करता। वह हर श्रमनिष्ठ को काम की गांरटी देता है। श्रमेव जयते! अंतिम जन को कई और गारंटी देने आई सरकार की भिन्न योजनायें, जनजागृति के अभाव में पहले नाकामयाब रही। दिलचस्प है कि जेब में मजूरी के पैसे की गारंटी में जगी जिज्ञासा और आये विश्वास जगा ने उन योजनाओं की कामयाबी की उम्मीद भी बढ़ा दी है। अब निश्चित आय की गारंटी के बूते वे स्वरोजगार की योजनाओं में दिलचस्पी लेने लगे हैं। मनरेगा जागरूकता के नाम पर सामाजिक संगठनों के साथ हुए संपर्क ने अंतिम जन को बता दिया है कि रास्ते और भी रोने के सिवा। लौटने लगी है, सपने देखने की आजादी। ग्रामीण स्कूलों में बालिकाओं के प्रवेश की संख्या भी बढ़ने लगी है और उनके अव्वल आने की सुनहरी लकीरें भी। कभी भूमिधरों के शिकार रहे अंतिम जन के आगे अब निहोरे करते हाथ हैं। ''मजदूर नहीं मिलेगा'' का भय अब भूमिधरों को दंडवत मुद्रा में ले आया है। मालिकों को अब पता चली है कि कीमत। हालांकि यह बदलाव अभी ऊंट के मुंह में जीरे जैसा ही है, लेकिन इसकी गति इतनी तेज है कि यदि मनरेगा पूरी ईमानदारी और समझदारी से लागू हो सका, तो जल्द ही मनरेगा गांवों में सामाजिक विन्यास की नई चुनौतियों व विकास का पर्याय बन जायेगा। लाइन में खड़ा आखिरी आदमी पंहुच जायेगा एक दिन आगे.....और आगे।

निष्कर्ष

इस योजना की काफी आलोचन भी हुई है तर्क दिया गया कि यह योजना भी गरीबी उन्मूलन की अन्य योजनओं से अधिक प्रभावी नहीं है, जहाँ प्रमुख अपवाद राजस्थान है। पहली आलोचना वित्तीय ह। मनरेगा दुनिया में अपनी तरह की सबसे बड़ी पहलों में से एक है। वित्तीय वर्ष 2006–07 के लिए वित्तीय बजट 113 बीलियन रूपए था। (लगभग यूएस 2.5 बिलियन सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 0.3 प्रतिशत) और अब पूरी तरह चालू होकर इसकी लागत 2009–10 वित्तीय वर्ष में 391 बिलियन रूपये है।

सार्वजनिक कार्य योजनाओं का अंतिम उत्पाद (जैस जल संरक्षण, भूमि विकास, वनीकरण, सिंचाई प्रणाली का प्रावधान, सड़क निर्माण, या बाढ़ नियंत्रण) असुरिक्षत है जिन पर सामज के अमीर वर्ग कब्जा कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में मनरेगा के एक निगरानी अध्ययन में दिखाया गया कि इस योजना के तहत की जा रही गतिविधियों सभी गावो में कमोबेश मानकीकृत हो गई थी, जिसमें स्थानीय परामर्श नहीं के बराबर था।

100 दिनों के बदले 70–80 दिन का काम दिया जाता है, कभी–कभी पूरा पैसा नहीं दिया जाता है। फर्जी मस्टरोल की शिकायतें तो कभी मृत आदमी के नाम पर पैसा निकाल लेने की शिकायतें अक्सर सुनाई देतीद रहती है। ऐसा नहीं है कि सरकार इस योजना को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए कोई पहल नहीं कर रही है। इसके लिए कई स्तरों पर काम किया। सोशल ऑडिट और रोजगार पाने वालों के खातों में सीधे पैसा डालने जैसे कई उपाय किए जा रहे हैं।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. *अरुण तिवारी (सामाजिक समीक्षा विन्यास में बदलाव का सूत्रधार मनरेगा।*
2. *महेश शर्मा की पुस्तक नरेगा पैठछ.9788173158 223*
3. *जयति घोष (राष्ट्रीय सहारा) 13 फरवरी 2016, प्रो0 अर्थशास्त्र विभाग, जे0एन0यू0।*
4. *डा0 गुप्ता, एम0एल0 एवं शर्मा, डी0डी0 ''भारतीय ग्रामीण समाजशास्त्र'' साहित्य भवन, आगरा।*
5. *www.manrega.nic.in*
6. *डा0 शर्मा, दीपक, कुरूक्षेत्र, अंक–12*
7. *मनरेगा रिपोर्ट–2014–17 ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार।*